पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश

हज 2026 में जाने वाले हज यात्रियों की हज यात्रा सुगम, सुरक्षित एवं सुविधाजनक बनाने हेतु हज कमेटी आफ इण्डिया ने सकुर्लर 34 में दिए निर्देश

लखनऊ : 19 मार्च, 2026

सचिव/कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने हज–2026 हेतु पासपोर्ट पहले से जमा करने की आवश्यकता समाप्त करते हुए आवश्यक सुझाव देते हुए बताया है की मूल अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखें तथा फ्लाइट बुकिंग हेतु उड़ान स्थल पर पहुंचते समय अपने साथ लायें। यात्रा प्रपत्र उड़ान स्थल पर मूल अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट दिखाने पर उपलब्ध कराया जायेगा।

उन्होंने बताया पासपोर्ट सत्यापन हज–2026 में जाने वाले यात्री बुकिंग के समय पासपोर्ट जमा करने से पहले तथ्यों को सत्यापित कर लें जैसे कि पासपोर्ट की वैद्यता 31 12.2026 तक होना अनिवार्य है। पासपोर्ट किसी भी रुप में कटा–फटा, पानी धब्बा युक्त व लैमिनेशन नुचा आदि नही होना चाहिए। पासपोर्ट में कम–से–कम दो पन्ने वीजा स्टैम्पिग हेतु खाली होना चाहिए। पासपोर्ट में नाम, फोटो, जन्म तिथि और अन्य विवरण हज आवेदन में उपलब्ध डाटा के अनुरुप है यह सुनिश्क्ति करे,किसी भी विसंगति/डैमेज की स्थिति में सूचना तत्काल उ०प्र० राज्य हज समिति को समय रहते उपलब्ध करा दें। अन्यथा यात्रा बाधित हो जायेगी। फ्लाइट बुकिंग की पुष्टि के संबंध में अवगत कराते हुए उन्होंने कहा है कि

हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा पोर्टल पर फ्लाइट बुकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। बुकिंग उपरान्त जनरेट होने वाली रसीद को अपने पास सुरक्षित रखना होगा। इस रसीद को अपने हस्ताक्षर उपरान्त उड़ान स्थल पर यात्रा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये जमा करना आवश्यक होगा।

उड़ान स्थल पर रिपोर्ट करने के संबंधित में बताया है कि जिन हज यात्रियों ने अपनी फ्लाइट बुकिंग पोर्टल के माध्यम से नही करायी है उन्हें 48 घण्टे पूर्व तथा जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर फ्लाइट बुकिंग कंफर्म करा ली है उन्हें 24 घण्टे पूर्व अपने लगेज सहित उड़ान स्थल पहुंचना अनिवार्य होगा।

यात्रा प्रपत्रों की चेकलिस्ट यात्री अपने निवास से उड़ान स्थल पर प्रस्थान करने से पूर्व बिन्दुओं की जांच अवश्य कर लें कि मूल पासपोर्ट (पुराना और नया, दोनो, यदि वीजा पुराने पासपोर्ट पर जारी किया गया हो),हेल्थ कार्ड/मेडिकल फिटनेस और टीकाकरण मूल प्रमाण पत्र,हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई को विभिन्न चरणों में भुगतान की गयी धनराशि की बैंक रसीद की प्रति यदि आनलाइन कराया है तो हस्ताक्षरित फ़लाईट बुकिंग कंफर्मेशन रसीद, हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई/त०प्र० राज्य हज समिति द्वारा जारी कोई विशेष प्रपत्र।

उन्होंने हज किट प्राप्त करने के संबंध में कहा है कि हज किट जिसमें स्मार्ट वॉच, आई) कार्ड, चीजा, और यात्रा सम्बन्धी अन्य प्रपत्र शामिल हैं, सम्बन्धित उड़ान स्थल से कवर हेड को सभी सदस्यों की ओर से यह किट प्राप्त करना आवश्यक होगा। यदि कोई हज यात्री किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से प्रपत्र प्राप्त करने के लिए अधिकृत करता है, तो यह कार्य उसके अपने जोखिम पर निर्भर होगा। अधिकृत व्यक्ति को अपना मूल आधार कार्ड, विधिवत हस्ताक्षरित अधिकृत पत्र तथा उपरोक्त प्रपत्र अपने साथ लाना अनिवार्य है।

सम्पर्क सूत्र– राजेश राय

राम यतन/06:00 **PM**

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0 : 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in